न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 886/2024
अनवान : –

1. विकास पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी झान्सल तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी झान्सल तहसील भादरा।

– **वादीगण**

बनाम्

1. गीता पुत्री हरिसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन ललानाबास हाल झान्सल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 21/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/15 की कुल 30.1620 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि पूर्व में वादीगण के नाना हरिसिंह के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि विरसतन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है जिसमें वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण बहिब 1/8 हिस्सा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/8 हिस्सा भूमि पर काबिज है। वादीगण जिसकी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी है। यही बिनाय दावा है।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादीगण के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम [illegible] शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादीगण का [illegible] तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया [illegible]स पर प्रतिवादीगण [illegible] जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है वाद भूमि पूर्व में वादीगण के नाना हरिसिंह के नाम दर्ज थी उनकी फौतदगी के बाद उक्त भूमि विरसतन प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त वाद भूमि बतौर कर्ता हिन्दु खानदान दर्ज हुई है जिसमें वादीगण का भी प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जन्मजात हक हिस्सा है। वाद भूमि पर वादीगण बहिब 1/8 हिस्सा भूमि पर व प्रतिवादी संख्या 1 अकेली 1/8 हिस्सा भूमि पर काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/15 की कुल 30.1620 हैक्ट भूमि में से 1/4 हिस्सा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से उक्त वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासतन दर्ज हुई है अतः वाद भूमि पैतृक है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई ऐतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/15 की कुल 30.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण बहिब 1/8 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 886/2024

अनवान : –

1. विकास पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी झान्सल तहसील भादरा।
2. पवन कुमार पुत्र राजेन्द्र जाति जाट निवासी झान्सल तहसील भादरा।

– वादीगण

बनाम्

1. गीता पुत्री हरिसिंह पत्नी राजेन्द्र जाति जाट साकिन लालानाबास हाल झान्सल तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 886 सन 2024 निर्णय दिनांक – 21/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा रोही मौजा जोरावरपुरा तहसील नोहर के खाता स0 13/15 की कुल 30.1620 हैक्ट भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा भूमि में वादीगण बहिब 1/8 हिस्सा भूमि के तथा प्रतिवादी सं0 1 को 1/8 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से पर रहन यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.28 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested